महाविद्यालय विकास परिषद की 7वीं बैठक का कार्यवृत्त
दिनांक 22 मई 2017, सुबह 11:00 बजे

महविद्यालय विकास परिषद की 7वीं बैठक दिनांक 22 मई 2017 को सुबह 11:00 बजे कुलपति के कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1.	प्रो. टी.बी. सुब्बा कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. देवाशीष चौधुरी परीक्षा नियंत्रक	-	सदस्य
3.	प्रो. ए.एस.चंदेल पुस्तकालयाध्यक्ष	-	सदस्य
4.	प्रो. इर्शाद गुलाम अहमद डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
5.	डॉ. एस. मणिवन्णन डीन, छात्र कल्याण	-	सदस्य
6.	डॉ. बीणा प्रधान प्राचार्य, नामची सरकारी महाविद्यालय	-	सदस्य
7.	डॉ. प्रेमलता महापात्र प्राचार्य, हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय	-	सदस्य
8.	श्रीमती केसांग वांगमो भूटिया उपाचार्य, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग	-	सदस्य
9.	डॉ. सत्यदीप छेत्री सह प्राध्यापक, रसायनिकी विभाग, सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग	-	सदस्य
10.	श्री चंदन तालुकदार वित्त अधिकारी (प्रभारी)	-	सदस्य
11.	श्री टी.के.कौल कुलसचिव	–	सचिव

प्रो. वी. रमा देवी, डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ किसी पूर्व निर्धारित कार्य की वजह से बैठक में उपस्थित नहीं हो सकीं और निदेशक (एचई) सिक्किम सरकार का प्रतिनिधित्व डॉ. एन.पी. खरल, ओएसडी (एचई), सिक्किम सरकार ने किया। डॉ. सुरेश कुमार गुरुंग, संयुक्त कुलसहकीव (शैक्षणिक) परिषद की सहायता के लिए उपस्थित थे।

अध्यक्ष ने महाविद्यालय विकास परिषद के सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि चूंकि पूर्व की परिषद ने अपना कार्यकाल पूरा किया है अत: महाविद्यालय विकास परिषद का पुन: गठन किया गया है।

विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी -2 के तहत नई परिषद का गठन किया गया है। अध्यक्ष ने प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग, डीन, जीवन विज्ञान विद्यापीठ, डॉ. लिली एली, प्राचार्य सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, तादोंग, डॉ. संध्या राई, प्राचार्य, लोयोला शिक्षा महाविद्यालय, डॉ. सुजाता बस्नेत, प्राचार्य, सरकारी महाविद्यालय रिनॉक, डॉ. दशरथ खरेल, प्राचार्य सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग और डॉ. पी.के.मिश्रा, प्राचार्य, डंबर सिंह महाविद्यालय, तादोंग को उनके बहुमूल्य योगदान के लिए लिखित प्रशंसा प्रस्तुत किया । इसके बाद अजेंडा में उल्लेखित विषयों पर चर्चा की गई।

खंड– 1

कार्यवृत्त की पुष्टि और कार्रवाई रिपोर्ट

सीडीसी7.1.1:दिनांक 5 नवंबर 2016 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की छठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 5 नवंबर 2016 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 6ठी बैठक के कार्यवृत्त 15 नवंबर 2016 को सभी सदस्यों को प्रसारित किए गए थे। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी नहीं मिली है। दिनांक 15 नवंबर 2016 को प्रसारित के अनुसार दिनांक 5 नवंबर 2016 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 6ठी बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

सीडीसी 7.1.2: दिनांक 5 नवंबर 2016 को आयोजित महाविद्यालय विकास परिषद की 6ठी बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट

अध्यक्ष ने सचिव को महाविद्यालय विकास परिषद की 6ठी बैठक के कार्यवृत्त पर कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा। इसके बाद सचिव द्वारा कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। सदस्यों ने कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड – 2

सूचनात्मक विषय

सीडीसी 7.2.1 सरकारी वोकेशनल महाविद्यालय, डेंताम के संबद्धता आदेश एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र में परिवर्तन

अध्यक्ष ने सूचित किया कि दिनांक 21 नवंबर 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 20वीं बैठक में दिये गए अनुमोदन के आधार पर दिनांक 6 दिसंबर 2016 को सरकारी वोकेशनल महाविद्यालय, डेंताम को यह बताते हुए शैक्षणिक सत्र 2017-18 से बी.वोकेशनल कार्यक्रम शुरू करने के लिए संबद्धता आदेश और 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' जारी किए गए थे कि महाविद्यालय को एआईसीटीई से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए। हालाँकि, बी. वोकेशनल के लिए यूजीसी के दिशा-निर्देशों के धारा 12 के अनुसार विश्वविद्यालय/महाविद्यालय को बी.वोकेशनल की शुरुआत के लिए निर्धारित प्रारूप में सीधे यूजीसी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा। तदनुसार संबद्धता आदेश और एनओसी में सुधार किए जाने हैं, जो कि 21 मार्च 2017 को संशोधित संबद्धता आदेश और एनओसी जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि महाविद्यालय को यूजीसी से पूर्व अनुमति लेनी चाहिए।

परिषद ने सबद्धता आदेश और अनापत्ति प्रमाणपत्र किए गए संशोधन को नोट किया।

सीडीसी 7.2.2 बी. वोकेशनल का पाठ्यक्रम विवरणिका

दिनांक 11नवम्बर, 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर निदेशक, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार से बी.वोकेशनल के लिए 5 विषयों, जैसे सॉफ्टवेर विकास, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन और सेवा खंड, खुदरा प्रबंधन और फार्मास्युटिकल रसायन विज्ञान में पाठ्यक्रम विवरणिका का मसौदा तैयार करने के लिए कहा गया था। तदनुसार, एचआरडीडी, सिक्किम सरकार ने सिक्किम के उद्योगों और सिक्किम विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों सहित 9 सदस्यों को लेकर समिति का गठन किया। बी.वोकेशनल के उपर्युक्त 5 विषयों के लिए मसौदा पाठ्यक्रम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है जिसे डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ को परीक्षा और अनुमोदन के लिए शैक्षणिक परिषद को प्रस्तुत करने के लिए भेजा गया है।

5 विषयों में बी.वोकेशलन पाठ्यक्रम के लिए पाठ्यक्रम विवरणिका के मसौदा में की गई प्रगति को परिषद द्वारा नोट किया गया।

खंड – 3

अनुसमर्थन से संबन्धित विषय

सीडीसी 7.3.1 शैक्षणिक सत्र 2017-18 से हिमालयन फार्मेसी संस्थान में पीएचडी शुरू करने हेतु अनुमति प्रदान

दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 20वीं बैठक में विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओसी -6 और ओसी -7 के प्रावधानों के अंतर्गत हर्कमाया शिक्षा महाविद्यालय को शैक्षणिक सत्र 2017-18 से एमफिल/पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया है। हिमालयन फार्मेसी संस्थान के दिनांक 12 दिसंबर 2016 के अभ्यावेदन को रद्द कर दिया और हर्क्माया शिक्षा महाविद्यालय को अनुमति देने के मद्देनजर विश्वविद्यालय के पहले के फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। हिमालयन फार्मेसी संस्थान को भी दिनांक 6 जनवरी 2017 के पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओसी-7 के प्रावधानों के अधीन शैक्षणिक सत्र 2017-18 से पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी गई थी।

परिषद ने विश्वविद्यालय अध्यादेश ओसी-7 के प्रावधानों के भीतर शैक्षणिक सत्र 2017-18 से पीएचडी कार्यक्रम शुरू करने के लिए हिमालयन फार्मेसी संस्थान को अनुमति देने में विश्वविद्यालय की कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड – 4

विचारार्थ एवं अनुमोदनर्थ विषय

सीडीसी 7.4.1: महाविद्यालय की अस्थायी संबद्धता की विस्तार

संबद्धता के नवीकरण के लिए अस्थायी रूप से संबद्ध महाविद्यालयों से प्राप्त आवेदनों के आधार पर यूजीसी (विश्वविद्यालयों द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 की धारा 4.6 और विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी-1 के तहत निरीक्षण समितियों का गठन किया गया। समितियों ने सभी 9 महाविद्यालय का निरीक्षण पूरा किया और निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की। निरीक्षण समितियों ने निम्नलिखित महाविद्यालयों को शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण के लिए सिफारिश की:

क्र.सं.	महाविद्यालयों का नाम	निरीक्षण की तिथि	टिप्पणियाँ
1	सिक्किम सरकारी बी.एड महाविद्यालय, सोरेंग	13.02.2017	शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण हेतु सिफ़ारिश की जाती है।
2	डंबर सिंह महाविद्यालय, सामदूर, गंगटोक	13-02.2017	शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण हेतु सिफ़ारिश की जाती है।
3	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, बुर्तुक, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम	14.02.2017	शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण हेतु सिफ़ारिश की जाती है।
4	सिक्किम सरकारी महाविद्यालय, ग्यालशिंग, पश्चिमी सिक्किम	14.02.2017	शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण हेतु सिफ़ारिश की जाती है।
5	सरकारी महाविद्यालय रिनॉक, रिनॉक,पूर्वी सिक्किम	15-02.2017	शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण हेतु सिफ़ारिश की जाती है।
6	हिमालयन फार्मेसी संस्थान, माझीटार, रंगपो	16-02.2017	शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण हेतु सिफ़ारिश की जाती है।
7	नामची सरकारी महाविद्यालय, कामरांग, दक्षिणी सिक्किम	16-02.2017	शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण हेतु सिफ़ारिश की जाती है।
	सिक्किम सरकारी विज्ञान महाविद्यालय, चाकुंग, पश्चिम सिक्किम	17-02.2017	शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण हेतु सिफ़ारिश की जाती है।

परिषद ने उपर्युक्त 8 महाविद्यालयों के अस्थायी संबद्धता की मंजूरी के लिए शैक्षणिक परिषद को सिफ़ारिश की। परिषद ने शैक्षणिक वर्ष 2017-18 के लिए पैलेटाइन महाविद्यालय के लिए अस्थायी संबद्धता के नवीकरण की सिफारिश नहीं की। पैलाटाइन महाविद्यालय, पाक्योंग 2017 में प्रवेश नहीं ले सकता है। हालांकि, महाविद्यालय यह सुनिश्चित करें कि मौजूदा छात्र उनके पाठ्यक्रमों को पूरा करें।

सीडीसी 7.4.2: महाविद्यालयों में एम.फिल/पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए विषय संबद्धता शुल्क

परिषद ने उल्लेख किया कि अध्यादेश ओडी-1 की धारा 20 के अनुसार महाविद्यालय में नए विषय का प्रस्ताव देने वाले महाविद्यालयों के लिए विषय संबद्धता शुल्क निर्धारित है। हालांकि, अध्यादेश एम.फिल/पीएचडी कार्यक्रम के लिए किसी प्रकार की विषय संबद्धता शुल्क निर्धारित नहीं करता है और विश्वविद्यालय ने कुछ महाविद्यालयों को को एम.फिल / पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति दी है।

विचार-विमर्श के बाद परिषद ने शैक्षणिक परिषद और कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के लिए एम.फिल और पीएचडी पाठ्यक्रमों के लिए निम्नलिखित विषय संबद्धता शुल्क की सिफारिश की।

1. एम.फिल - ₹ 6,000 प्रति विषय
2. पीएचडी - ₹ 8,000 प्रति विषय

सीडीसी 7.4.3: सिक्किम विश्वविद्यालय की संबद्धता के लिए इच्छुक महाविद्यालयों के लिए सावधि जमा

परिषद ने उल्लेख किया कि अध्यादेश ओडी-1 के अनुसार कला, वाणिज्य और विज्ञान में स्नातक कार्यक्रम शुरू करने के इच्छुक नए स्थापित कॉलेजों को ₹ 15 लाख अथवा यूजीसी द्वारा निर्धारित राशि जमा करने की आवश्यकता होती है और व्यावसायिक पाठ्यक्रम शुरू करने के इच्छुक महाविद्यालयों को ₹ 35 लाख या यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालय में आवधि जमा के रूप में जमा के रूप में निर्धारित राशि के अनुसार जमा करना होता है।

परिषद ने यह भी नोट किया कि यूजीसी (विश्वविद्यालय द्वारा कॉलेजों की संबद्धता) विनियम, 2009 की धारा 3.2 में पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा विधिवत रूप से प्रबंधित महाविद्यालयों के लिए ऐसी जमा राशि निर्धारित की गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों पर यह शुल्क लागू नहीं है। परिषद ने विचार-विमर्श के बाद विश्वविद्यालय के अध्यादेश ओडी-1 की धारा 20 में निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव रखा :

"उपर्युक्त क्र.सं. 15 और 16 के तहत उल्लेखित सावधि जमा राज्य सरकार द्वारा संचालित कॉलेजों पर लागू नहीं होगी। यह विधिवत गठित और पंजीकृत सोसायटी या ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित महाविद्यालयों पर लागू होगा "।

इसे अध्यादेश ओडी-1 की धारा 20 की तालिका के नीचे रखा जाएगा।

सीडीसी 7.4.4: क्रेडिट आधारित विकल्प विषय के रूप में एनएसएस की शुरुआत

दिनांक 13 अगस्त 2015 के पत्र के माध्यम से यूजीसी द्वारा सूचित किए जाने के अनुसार केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की 62वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर परिषद ने विश्वविद्यालय और सम्बद्ध महाविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतर्गत एनएसएस को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू करने के लिए शैक्षणिक परिषद के अनुमोदन हेतु सिफ़ारिश की। परिषद ने यह भी कहा कि युवा मामले और खेल मंत्रालय (एमवाईएएस), भारत सरकार ने एनएसएस पाठ्यक्रम का प्रारूप तैयार किया है। परिषद ने यह भी सुझाव दिया कि शैक्षणिक परिषद एमवाईएएस, भारत सरकार द्वारा तैयार टेम्पलेट पाठ्यक्रम के आधार पर एनएसएस पाठ्यक्रम को प्रारूप बनाने करने के लिए एक पाठ्यक्रम प्रारूपण समिति (सीडीसी) का गठन करें।

सीडीसी 7.4.5: विश्वविद्यालय के विभागों और संबद्ध महाविद्यालयों द्वारा परीक्षा समाप्त होने के तुरंत बाद उत्तरपुस्तिकाओं को परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में प्रेषित करना

परिषद ने ध्यान दिया है कि विश्वविद्यालय के कुछ विभाग और साथ ही संबद्ध महाविद्यालय परीक्षा समाप्त होते ही परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय में उत्तर-पुस्तिकाएँ नहीं भेजते हैं, जिससे सभी तरह की समस्याएँ उत्पन्न हो रही है। विचार-विमर्श के दौरान कुछ सदस्यों द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार परीक्षा शुल्क पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय को भेजा जाना है। जैसे कि विश्वविद्यालय को महाविद्यालयों से

उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रह की व्यवस्था करनी चाहिए। महाविद्यालयों से उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रह के लिए विभिन्न सुझाव सदस्यों द्वारा दिए गए थे, हालांकि, सभी एकमत नहीं थे। यह निर्णय लिया गया कि उत्तर पुस्तिकाओं के संग्रह के तौर-तरीकों पर काम किया जाएँ और महाविद्यालय को सूचित किया जाएँ।

सीडीसी 7.4.6: ऑनर्स पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों की नून्यतम आवश्यकता

महाविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रम के पुनर्गठन के लिए दिनांक 26 फरवरी 2017 को महाविद्यालय के प्राचार्यों के साथ कुलपति और अन्य अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि महविद्यालय में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में कम से कम तीन शिक्षक (नियमित या तदर्थ) और विज्ञान विषय में 4 शिक्षक नियमित या तदर्थ) रहने होने की स्थिति में महाविद्यात्ल्य में किसी भी विषय में ऑनर्स कोर्स की अनुमति दी जा सकती है, ऐसा नहीं होने पर महाविद्यालय केवल पास कोर्स संचालित कर सकता है। मामले को विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। परिषद ने यह भी कहा कि यूजीसी के मानदंडों के अनुसार शिक्षकों की न्यूनतम आवश्यकता मानविकी और सामाजिक विज्ञान में 4 और विज्ञान विषय में 5 हैं। विचार-विमर्श के बाद परिषद ने निम्नलिखित सिफ़ारिशें की :

किसी भी विषय में ऑनर्स कोर्स में मानविकी और सामाजिक विज्ञान विषयों में कम से कम 3 शिक्षकों (नियमित या तदर्थ) और विज्ञान विषय में 4 शिक्षकों (नियमित या तदर्थ) की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते विषय में कुल छात्रों की संख्या 150 से ऊपर न हो। 150 से ऊपर के अतिरिक्त छात्रों के लिए प्रत्येक 100 छात्रों के लिए न्यूनतम एक और शिक्षक की आवश्यकता होगी।

सारिणीबद्ध विषय

सीडीसी 7.4.7: 10 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए सिक्किम सरकारी महावियद्यालय, तादोंग का निरीक्षण

दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 20 वीं बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर यूजीसी की धारा 4.6 (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों की संबद्धता) विनियम, 2009 और विश्वविद्यालय अध्यादेश ओडी-1 के तहत 13 सदस्यों को लेकर एक निरीक्षण समिति का गठन किया गया, जो 28 अक्टूबर 2016 को किए गए महाविद्यालय का निरीक्षण के संदर्भ में निरीक्षण समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। निरीक्षण दल ने देखा कि 10 विभागों में संकाय सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में पिछली समिति की सिफारिशों को पूरा नहीं किया गया है जिसमें महाविद्यालय ने पीजी कार्यक्रम शुरू करने की मांग की है।

परिषद ने विचार-विमर्श के बाद तय किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाएँ और महाविद्यालय जब भी शर्तों को पूरा कर सकें, तब पीजी पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए आवेदन करे।

सीडीसी 7.4.8: 2 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए नामची सरकारी महाविद्यालय, कामरांग का निरीक्षण

दिनांक 11 नवंबर 2016 को आयोजित शैक्षणिक परिषद की 20वीं बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार गठित निरीक्षण समिति महाविद्यालय का निरीक्षण नहीं कर सकी क्योंकि महाविद्यालय ने निरीक्षण तिथि को स्थगित करने का अनुरोध किया क्योंकि यह पिछली

निरीक्षण समिति की सिफारिशों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। विश्वविद्यालय ने महविद्यालय से कहा है कि जब निरीकिशन समिति के अनुसार शर्तें पुरू हो, तब राजनीति विज्ञान और नेपाली में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए निर्धारित प्ररूपों में शुल्कों के साथ नए सिरे से आवेदन करें।

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता./
(टी.के.कौल)
कुलसचिव एवं सचिव

हस्ता./-
(टी.बी.सुब्बा)
कुलपति एवं अध्यक्ष